	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 16, मंगलवार, *शाके* 1947- जनवरी 06, 2026	
	Pausa 16, Tuesday, Saka 1947- January 06, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 01, 2026

संख्या प.10(29)कृषि/ग्रुप-2/1979/पार्ट-।। **:-**जैसा कि इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.07.1965 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, बिजयनगर की स्थापना की गई थी

अब कृषि उपज मण्डी समिति, बिजयनगर द्वारा मण्डी क्षेत्र ग्राम भिनाय मे गौण मण्डी घोषित किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 5 की उपधारा 2 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम भिनाय मे गौण मण्डी यार्ड स्थापित करने की घोषणा करती है जिसकी सीमाऐं निम्न प्रकार से होगीः-

उत्तर पूर्व दिशा मे - खसरा नं. 8267/4432 चारागाह भूमि
पूर्व दक्षिण दिशा मे - खसरा नं. 8267/4432 चारागाह भूमि
दक्षिण दिशा मे - खसरा न. 4449 राज. सरकार व आम रास्ता रोड
दक्षिण पश्चिम दिशा मे - खसरा न. 4438 राज. सरकार व आम रास्ता रोड
एवं पश्चिम दिशा में - खसरा न. 4397 चारागाह भूमि व आम रास्ता रोड

गौण मण्डी यार्ड भिनाय की उक्त सीमाओं के अन्दर निर्मित भवन, दुकानें एवं भू-भाग आदि सम्मिलित होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

स्नेह लता हारीत,
शासन उप सचिव।

16767
राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।